न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
पीठासीन अधिकारी – स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या –028 / 2020

1. लालचन्द माण्डन पुत्र श्री शेराराम जाति सुथार निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– –प्रार्थी

बनाम

1. गुरभगतसिंह पुत्र जैलासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 17 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शिवराजसिंह पुत्र जैलासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 17 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री अंकित सिडाना अधिवक्ता – –प्रार्थी
2. श्री छगनलाल सिडाना अधिवक्ता – – अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक :–**

प्रार्थी लालचन्द माण्डन ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आरटीए के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 7 जी.जी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 49 / 50 तादादी 4.718 हैक्टर नहरी, अनकमाण्ड मय गै0मु0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना–पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 7 जी.जी.आर जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 17 / 16 तादादी 1.709 हैक्टर नहरी मय गै0मु0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 7 जी.जी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 51 / 33 तादादी 2088 हैक्टर नहरी मय गै0मु0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना–पत्र है।

चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203 / 295(21) किला नम्बर 1 व 2 मे पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता मौका पर चल रहा है जिसका उपयोग प्रार्थी अर्सा कदीम से करता चला आ रहा है । प्रार्थी ने इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203 / 295(21) किला नम्बर 3 में 10 फुट चौड़ी व 155 फुट लम्बी व किला नम्बर 8 में 10 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी जगह किला नम्बर 2 व 9 के चिपते हुए अप्रार्थीगण को दी हुई है। कृषि भूमि मे रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख में चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203 / 295(21) किला नम्बर 1 व 2 मे पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है।

Scanned with CamScanner

चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) के किला नम्बर 2 में उत्तर की तरफ पत्थर नम्बर 203/294(16) किला नम्बर 22 अप्रार्थी संख्या 1 का है। अप्रार्थी संख्या 1 किला नम्बर 2 से किला नम्बर 22 में आ-जा सकेगा लेकिन अप्रार्थीगण को किला नम्बर 1 व 2 में लम्बा रास्ता उपयोग करने का अधिकार नही होगा। अप्रार्थीगण किला नम्बर 2 से किला नम्बर 22 में आ जा सकेंगे लेकिन अपने वाहन को रास्ता में खड़ा नही कर सकेंगे चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु अपने स्वयं के खर्चा पर इस रास्ता में पाईप डाल सकेंगे। अप्रार्थीगण को यह अधिकार नही होगा कि वे इस रास्ता में बिना पाईप डाले रास्ता का कटाव कर खाला बनाकर सिंचाई करें। राजस्व अभिलेख में रास्ता की प्रविष्टी किये जाने से पक्षकारान को सुविधा होगी एवं प्रार्थी के पास इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी पूर्ण रूप से सद्भावी है।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना-पत्र 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे एवं इस रास्ता के बदले चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 3 मे 10 फुट चौड़ी व 155 फुट लम्बी कृषि भूमि एवं किला नम्बर 8 में 10 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश होने पर रीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौडा व 2 बीघा लम्बा रास्ता मौका पर चल रहा है जिसका उपयोग प्रार्थी/पक्षकार संख्या 1 अर्सा कदीम से करता चला आ रहा है। प्रार्थी/प्रथम पक्षकार ने इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्षकार को चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 3 में 10 फुट चौडी व 155 फुट लम्बी व किला नम्बर 2 में 10 फुट चौडी व 165 फुट लम्बी जगह किला नम्बर 2 व 9 के चिपते हुए दी हुई है जो कि चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) के किला नम्बर 2 में उत्तर की तरफ पत्थर नम्बर 203/294(16) किला नम्बर 22 अप्रार्थी संख्या 1 का है। अप्रार्थी संख्या 1 किला नम्बर 2 से किला नम्बर 22 में आ-जा सकेगा लेकिन अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्षकार को किला नम्बर 1 व 2 में लम्बा रास्ता उपयोग करने का अधिकार नही होगा । अप्रार्थीगण किला नम्बर 2 से किला नम्बर 22 में आ जा सकेंगे लेकिन अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्षकार अपने किसी वाहन को रास्ता में खड़ा नही करेंगे। चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु अपने स्वंय के खर्चा पर इस रास्ता में पाईप डाल सकेंगे । अप्रार्थीगण को यह अधिकार नही होगा कि वे इस रास्ता में बिना पाईप डाले रास्ता का कटाव कर खाला बनाकर सिंचाई कर सके। चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे एवं इस रास्ता के बदले चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 3 में 10 फुट चौड़ी व 155 फुट

Scanned with CamScanner

लम्बी भूमि एवं किला नम्बर 8 में 10 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जानी उचित है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 7 जी. जी. आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में पत्थर लाईन के चिपते हुए 10 फुट चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे एवं इस रास्ता के बदले चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 3 में 10 फुट चौड़ी व 155 फुट लम्बी कृषि भूमि एवं किला नम्बर 8 में 10 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे। तहसीलदार टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलग्न जमाबन्दीयों व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में रास्ता चाहा गया है परन्तु मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट एवं सलंग्न जमाबन्दी उक्त किलों में पहले से ही गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं मौके पर चालू है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में संलग्न जमाबन्दीयों व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि कि प्रार्थी द्वारा चक नम्बर 7 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 203/295(21) किला नम्बर 1 व 2 में रास्ता चाहा गया है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट एवं सलंग्न जमाबन्दी में उक्त किलों में पहले से ही गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं मौके पर चालू है। अतः रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होनें व पहले से गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने के मद्देनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाये जाने पर प्रार्थी प्रार्थना–पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

Scanned with CamScanner